

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 393 ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 अगस्त 2011—श्रावण 26, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2011

क्र. एफ ए-3-22-2011-1-पांच(58).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की अनुसूची-1 के अनुक्रमांक 58-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मेसर्स नंदी, फाउंडेशन, भोपाल, इन्दौर और जबलपुर, मेसर्स इस्कॉन फूड रिलीफ संस्था, उज्जैन और मेसर्स साधना महिला मण्डल संस्था, ग्वालियर को इस शर्त के अध्वधीन रहते हुए अधिसूचित करती है कि व्यापारी उक्त अनुक्रमांक के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हों.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2011

क्र. एफ ए-3-22-2011-1-पांच(58).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-22-2011-1-पांच(58), दिनांक 17 अगस्त 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 17th August 2011

No. FA-3-22-2011-1-V(58).—In exercise of the powers conferred by serial number 58-A of Schedule 1 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, notifies M/s Nandi Foundation, Bhopal, Indore and Jabalpur, M/s Iscon Food Relief Sanstha, Ujjain and M/s Sadhna Mahila Mandal Sanstha, Gwalior, Subject to the condition that the dealers are registered under the said Act, for the purpose of said serial number.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl. Secy.